राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रः– प. 2(13)III/A/निर्वा/बी.एफ.सी/2020-21/3495 जयपुर, दिनांकः– 18/9/2020

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषित :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– लेखाशीर्ष 2015- निर्वाचन तथा 0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, 02- निर्वाचन से सम्बन्धित आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आय–व्ययक अनुमान तैयार करने संबंधी निर्देश वित्त (बजट) विभाग के बजट परिपत्र संख्या प. 4(196) वित्त–1 (1) आ. व्य./2020 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 (परिपत्र मय निर्धारित प्रपत्र एवं निर्देश वित्त विभाग की वेबसाईट **finance.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध हैं) को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सदैव की भांति आय–व्ययक अनुमान 2021-22 एवं संशोधित आय–व्ययक अनुमान 2020-21 निर्धारित प्रपत्र 1 (अ,ब एवं स),2,3,8, 9 एवं 10 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए एवं आपके अधीनस्थ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के अनुमान शामिल करते हुए, प्रस्ताव इस विभाग को **fa.election@gmail.com (कोविड–19 महामारी के कारण इस बार प्रस्ताव Online ही प्रेषित करें)** पर दिनांक 30.09.2019 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव **IFMS पर On Line** कर दिये गये हैं।

निर्धारित तिथि तक आपके कार्यालय के आय–व्ययक अनुमान इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके अनुमानों का संकलन नहीं हो सकेगा एवं उनकी प्रतीक्षा किये बिना बजट प्रस्ताव वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर दिये जावेंगे। इस प्रकार भविष्य में होने वाली असुविधा/कठिनाई का समस्त उत्तरदायित्त्व आपका होगा।

इस विभाग में व्यय अपरिहार्य होते हैं इसलिये यह सुनिश्चित कर लेवें कि कोई भी प्रावधान अनुमानों में सम्मिलित होने से नहीं रह जाये, परन्तु संभावनाओं के आधार काल्पनिक प्रावधान कराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिये। आय–व्ययक अनुमान 2021–22 एवं संशोधित अनुमान 2020–21 तैयार करते समय निम्न अनुदेशों का ध्यान रखा जावे।

अनुमानों का प्रस्तुतीकरण			
(क)	प्रपत्र–9 लघुशीर्ष 102, निर्वाचन अधिकारी के अन्तर्गत सभी विस्तृत मदों यथा		
	A	01-संवेतन	संवेतन में मूल वेतन, विशेष वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते सम्मिलित करने हैं। **Note:- रिक्त पदों हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया जावे।**
	B	03-यात्रा भत्ता	यात्रा भत्ता दौरे आदि तथा यात्रा भत्ता स्थानान्तरण (लम्बित दायित्वों की सूची सहित)
	C	04-चिकित्सा भत्ता	लम्बित दायित्वों का विवरण एवं विशेष मांग के लिये औचित्य एवं लम्बित दायित्वों की सूची, संलग्न करें
	D	05-कार्यालय व्यय	डाकतार व्यय, बिजली एवं जल प्रभार, पुस्तके तथा नियतकालिक पुस्तिकाएँ, फर्नीचर की मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा अन्य आकस्मिक व्यय।
	E	09-आर.आर.टी	भवन गोदाम आदि के किराये का विवरण दर्शाया जावे
	F	37-वर्दियाँ एवं अन्य सुविधाएं	वर्दियों पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जावे।
	G	41-संविदा सेवाएं	संविदा पर लिये गये कार्मिकों की संख्या, दर एवं कुल व्यय प्रपत्र–1 (ब) में भी दर्शाया जावे।
(ख)	लघुशीर्ष 103, 105, 106 एवं 108 से सम्बन्धित आय–व्ययक अनुमान 2021-22 एवं संशोधित अनुमान 2020-21 के प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र क, ख, ग एवं घ में तैयार कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।		
	नोटः–	(i)	कृपया पूर्व दायित्वों का पूर्ण विवरण मय औचित्य के अलग से संलग्न कर प्रस्तुत करें अन्यथा विभाग द्वारा पूर्व दायित्वों के लिये प्रावधान के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
		(ii)	गत वित्तीय वर्षों के बकाया दायित्वों की सूची भी बजट अनुमान के साथ संलग्न कर प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त बिन्दुवार बजट टिप्पणी भी आवश्यक रूप से संलग्न करें जिससे व्यय का औचित्य स्पष्ट हो सके तथा संलग्न प्रपत्रों में वांछित विवरण भी प्रेषित किया जावे।
		(iii)	नवीन मद क्रय हेतु विस्तृत प्रस्ताव औचित्य के साथ पृथक से प्रेषित करें **बजट प्रस्ताव/अनुमान में नवीन मद की राशि सम्मिलित नहीं की जावे।**

जिला निर्वाचन अधिकारी बजट प्रस्तावों का स्वयं अपने स्तर पर अवलोकन कर सन्तुष्टि कर लेने के पश्चात ही हस्ताक्षर कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार ही हों। **बजट प्रस्ताव तैयार करते समय कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु वित्त विभाग के द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 03.09.2020 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।**

संलग्नः– प्रपत्र क से घ
वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 03.07.20

भवदीय,

(अनुपमा शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रपत्र – क

संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21
आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		103	-	निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/2020 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये सम्भावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2022-22	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10–प्रकाशन व्यय						
	i प्रकाश एवं मुद्रण सम्बन्धी कार्य						
2-	29–प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय						
3.	42–प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय						
	i सुपरवाईजर मानदेय						
	ii बी.एल.ओ मानदेय						
	iii बी.एल.ओ को पुनरीक्षण कार्य हेतु Fix Remunesation						
	iv सुपरवाईजर को पुनरीक्षण कार्य हेतु Fix Remunesation						
4.	57–विभागों द्वारा विशिष्ठ सेवाओं पर व्यय						
	i यात्रा व्यय (बी.एल.ओ एवं सुपरवाईजर्स)						
	ii. कार्यालय व्यय						
	iii मशीन विद मैन						
	iv राष्ट्रीय मतदाता दिवस						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

प्रपत्र – ख

संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21
आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		105	-	संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		
		57	-	विभागों द्वारा विशिष्ठ सेवाओं पर व्यय

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/2020 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये सम्भावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वीप कार्यक्रम						
2	मतदान /मतगणना दलों/माईक्रो ऑबजर्वर चुनाव स्टॉफ हेतु मानदेय/दैनिक भत्ता						
3	पीठासीन अधिकारियों/ मतदान दलों हेतु चुनाव पूर्व सामग्री व व्यवस्थायें						
4	पर्यवेक्षकों की बोर्डिंग/ लॉजिंग						
5	अधिग्रहीत वाहनों का किराया/ पी.ओ.एल						
6	मतदान एवं लेखन सामग्री/ कम्प्यूटर स्टेशनरी						
7	टेन्ट/ फर्नीचर/ बैरीकेडिंग आदि						
8	विडियोग्राफी/ चुनाव व्यय मॉनिटरिंग सैल की व्यवस्था/ वेबकास्टिंग						
9	दूरभाष एवं अन्य विविध व्यय						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

प्रपत्र – ग

संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21
आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		106	-	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		
		57	-	विभागों द्वारा विशिष्ठ सेवाओं पर व्यय

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/ 2020 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये संभावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मतदान दलों/मतगणना दलों में नियुक्त अधिकारी/कार्मिक, जिनको चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा, को देय दैनिक भत्ता/मानदेय/अल्पाहार सम्बन्धी व्यय।						
2	चुनाव हेतु अधिग्रहीत वाहनों का किराया/ पी.ओ.एल आदि व्यय।						
3	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी सम्बन्धी व्यय						
4	टेन्ट/पानी, बिजली/ टेलीफोन आदि व्यवस्थाओं सम्बन्धी व्यय।						
5	मतदान दलों को आउटराईट भुगतान सम्बन्धी स्टेशनरी व्यय						
6	कम्प्यूटर/अन्य कार्यालय व्ययों सम्बन्धी स्टेशनरी व्यय						
7	ईवीएम/वीवीपेट से सम्बन्धित व्यय यथा ट्रांसपोर्टेशन, बैटरी बैकअप/एफएलसी सम्बन्धी व्यय						
8	प्रचार प्रसार सम्बन्धी व्यय						
9	मतदाता सामग्री सम्बन्धी व्यय						
10	अन्य फुटकर व्यय						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

प्रपत्र – घ

संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21
आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		108	-	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		
		57	-	विभागों द्वारा विशिष्ठ सेवाओं पर व्यय

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/2020 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये संभावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रचार प्रसार						
2	मुद्रण (EPIC)						
3	स्टेशनरी						
4	विविध व्यय						
5	अन्य व्यय (यदि कोई हो तो अंकित करें)						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 जयपुर, दिनांक : 03 सितम्बर, 2020

परिपत्र

विषय :– राजकीय व्यय में मितव्ययता।

कोविड–19 महामारी की चुनौती से लड़ने हेतु चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार किये जाने तथा महामारी से प्रभावित वर्ग को सहायता उपलब्ध कराने हेतु, जहां एक ओर, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की महती आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियां एवं सेवा क्षेत्र के महत्तवपूर्ण घटकों के कार्यकलापों में अत्यधिक शिथिलता आने से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी हुई है।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। यह तभी संभव है कि जब राज्य के सभी कार्यकलापों में कुशल प्रबंधन अपनाते हुए मितव्ययता बरती जाये।

कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु पूर्व में जारी किए गए मितव्ययता परिपत्रों की निरन्तरता में निम्नलिखित दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

1. **संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर व्यय को सीमित किया जाना –**

   (i) वर्ष 2020–21 के विभिन्न बजट मदों यथा–कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय एवं पत्र–पत्रिकाओं पर व्यय हेतु बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय को 70 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा तथा इन मदों में किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

   (ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में POL मद में स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध व्यय को 90 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा।

   (iii) राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में जारी किया जाना स्थगित रखा जायेगा।

(iv) समस्त राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन तथा उद्घाटन समारोह आदि सादगी एवं सम्पूर्ण मितव्ययता बरतते हुए, जहां तक संभव हो, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित किये जायेंगे।

(v) राजकीय भोज के आयोजन पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

(vi) उपहार क्रय तथा सत्कार/आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

2. राजकीय यात्रा –

(i) शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जावे तथा यथासंभव विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जावे।

(ii) जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, इकानॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्जीक्यूटिव/ बिजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।

(iii) विमान किराये पर लेने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में विमान किराये पर लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति आवश्यक होगी।

(iv) राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. क्रय पर प्रतिबन्ध –

(i) कोविड–19 महामारी को फैलने से रोकने, संक्रमितों के उपचार तथा महामारी से पीड़ितों की सहायता हेतु आवश्यक सामग्री/उपकरणों के क्रय को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र तथा New Items के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। योजनान्तर्गत प्रावधित केवल Functional Equipments, जो कि योजना के संचालन हेतु आवश्यक हैं, का क्रय किया जा सकेगा।

(ii) वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

4. योजनाओं पर व्यय –

(i) जिन कार्यों/योजनाओं हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है उन योजनाओं/निर्माण/गतिविधियों में राज्य निधि की धनराशि आवश्यतानुसार चरणों में उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की जाकर राज्य निधि से वित्त पोषित उन्हीं योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाये, जो अपरिहार्य प्रतीत होती है। इस हेतु विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(iii) ऐसी योजनाएं, जो अपरिहार्य या अत्यावश्यक न हों, उनका क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में स्थगित रखा जावे।

यह प्रतिबन्ध चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, मिड–डे–मील, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आपदा राहत, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा पुलिस से संबंधित योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

5. **स्वीकृत पदों की समीक्षा एवं रिक्त पदों पर भर्ती –**

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 में 100 प्रतिशत राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यालय जो आरम्भ नहीं हुये है उन्हें भी इस वित्तीय वर्ष में स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ii) विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान में अप्रासांगिक हो गये हैं उन्हें विभागों द्वारा चिह्नित कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

6. **प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियां –**

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 में समस्त प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन, जहां तक संभव हो, ऑनलाईन किया जावेगा।

(ii) अपरिहार्य/अति आवश्यक परिस्थितियों में सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/प्रदर्शनियां आदि का आयोजन राजकीय संस्थाओं/शासकीय भवनों/राजकीय परिसर में ही किया जाये।

(iii) प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय, उत्सव और प्रदर्शनियां व्यय मदों में बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा व्यय में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी की जाये।

7. **परिपत्र की प्रभावशीलता एवं क्षेत्राधिकार –**

(i) व्यय नियंत्रण हेतु उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से अनुपालना के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(ii) उपर्युक्त दिशा–निर्देश राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए स्वयत्तशाषी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों, विश्वविद्यालयों आदि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संस्था प्रधान जिम्मेवार होंगे।

राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स को उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक होने पर संबंधित संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(iii) राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र प्रभावी नहीं होगा।

8. अति आवश्यक प्रकरणों में विभागों से पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रतिबंधों में शिथिलन दिया जा सकेगा।

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[05/2020]